

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
बमुकद में ईब्तादाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 133/2025

वाद पत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.

1. रामप्रताप पुत्र बीरबल जाति कुम्हार निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. तुलछाराम पुत्र बीरबल जाति कुम्हार निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. रोशनी पत्नी रामेश्वर पुत्र बीरबल जाति कुम्हार निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. रामेश्वर पुत्र ताराचन्द पुत्र बीरबल जाति कुम्हार निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

बनाम

1. हरकीश पुत्री बीरबल जाति कुम्हार निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. कौशल्या पुत्री बीरबल जाति कुम्हार निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. रानी पुत्री बीरबल जाति कुम्हार निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. अनिल पुत्र रामेश्वर पुत्र बीरबल जाति कुम्हार निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
5. रोहिताश पुत्र रामेश्वर पुत्र बीरबल जाति कुम्हार निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
6. कान्ता पुत्री रामेश्वर पुत्र बीरबल जाति कुम्हार निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
7. सुमित्रा पुत्री रामेश्वर पुत्र बीरबल जाति कुम्हार निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
8. ओमप्रकाश पुत्र सोहनलाल जाति कुम्हार निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
9. बद्धी पुत्र नन्दु पुत्र श्योकरण जाति कुम्हार निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
10. बीरबल पुत्र मस्तान जाति जाट नि.अमरपुरा जालू तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
11. महेन्द्र पुत्र मनफूल जाति कुम्हार निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
12. शकुन्तला पत्नी कृष्ण लाल जाति कुम्हार निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
13. सुखी पत्नी जिसुख जाति जाट नि.अमरपुरा जालू तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
14. हजारी पुत्र देवाराम जाति कुम्हार निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
15. हेतराम पुत्र मस्तान जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
16. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

दिनांक :- 8.9.2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू हमारे बहाजरी श्री बन्दुश बिश्नोई वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री कैलाश सिंवल वकील प्रतिवादी 1 ता 7 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एंव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:-

महायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

क्र. सं.	नाम काशतकार मय वल्लिदयत एवं सकूनात	चक का नाम खातों का विवरण	वर्तमान में कब्जा काशत अनुसार काशतकार का नाम	कब्जा काशत अनुसार रकबा
1	शकुन्तला पत्नि कृष्णलाल 0.126 हि. जाति कुम्हार (प्रजापति) बीरबल पुत्र देवाराम 1.132 हि. जाति कुम्हार (प्रजापति) बीरबल	प.मं. शाहपीनी के चक 18 एएमपी के खाता सं. 79/51 खाते का योग 0.759 हैक्. (विवादित श्रेणी का है)	1 शकुन्तला पत्नि कृष्णलाल 0.126 हि. जाति कुम्हार (प्रजापति) बीरबल पुत्र देवाराम (फौत) 0.632 हि. जाति कुम्हार (प्रजापति) बीरबल	सालम खाता 0.759 हेक्.

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंसा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/2889 दिनांक 22.07.2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। प्रश्नगत भूमि रहन मुक्त होने के पश्चात ही नामान्तरण दर्ज किया जावे। यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काशतकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

नोट :- तहसीलदार संगरिया ने अपने विभाजन प्रस्ताव में बीरबल पुत्र देवाराम को फौत होना तथा इनके वारिसानों का कब्जा काशत होना बताया है इसलिए तहसीलदार संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार बीरबल पुत्र देवाराम के वारिसानों की नियमानुसार जांच कर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने अपने विरास्तन हिस्सा का परित्याग वादी संख्या 1 ता 7 के पक्ष में बहिब कर दिया है।

निज........मुब्लिक........बाबत........खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वंसूलयाबी तक........को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....8.9.2025.....को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक क्लर्क एवं
उपरवर्द्ध अधिकारी,
संगरिया